15

अध्याय

सतर्कता

सतर्कता

कार्य

कोयला मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठनों तथा कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और उसकी 8 सहायक कंपनियों, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन में सतर्कता प्रशासन की निगरानी करता है।

संगठन की संरचना

मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। सीआईएल / उसकी सहायक कंपनियों तथा एनएलसी के सतर्कता स्कन्धों के प्रमुख एक स्वतंत्र पूर्णकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। बोर्ड स्तर से निचले अधिकारियों के सतर्कता मामलों की जांच संबंधित कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है तथा बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में मुख्य सतर्कता अधिकारी तथ्यात्मक रिपोर्टें उपयुक्त कार्रवाई हेतु मंत्रालय को भेजते हैं।

सतर्कता जागरूकता

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26.10.2015 से 31.10.2015 तक मनाया गया जिसमें 'अच्छे शासन के औजार के रूप से सतर्कता निवारण' विषय पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता संबंधी मसलों पर जागरूकता सृजित करने के लिए कार्यशालाएं, वाद–विवाद, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगान / लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

निगरानी तंत्र

सतर्कता संबंधी मामलों, सूचना प्रौद्योगिकी पहलकदमियों के कार्यान्वयन आदि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं। इस अवधि के दौरान हुई बैठकें निम्नानुसार हैं:

क्र.स.	तारीख	स्थान	द्वारा समीक्षा की गई
1.	23.01.2015	वाराणसी	अपर सचिव एवं सीवीओ
2.	04.04.2015	कोलकाता	सचिव (कोयला)
3.	18.09.2015	कोलकाता	संयुक्त सचिव एवं सीवीओ
4.	01.10.2015	नई दिल्ली	संयुक्त सचिव एवं सीवीओ
5.	29.01.2016	भुवनेश्वर	सचिव (कोयला)

इन बैठकों में जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली तथा कोयले की चोरी को रोकने के लिए ई–नीलामी हेतु अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहलकदमियों पर चर्चा की जाती है। इसके अलावाए अच्छे शासन में प्रवेशक के अन्य प्रणाली सुधार और व्यवसाय करने में आसानी अर्थात कोयला ओबीआर के सुधार के उपाय, ई–प्रापण/ई–रिवर्स नीलामी, विस्फोटकों के परीक्षण में सुधार, भूमि प्रबंधन प्रणाली, परियोजना प्रबंध प्रणाली, ई–कार्यालय, कोलनेट, बिल ट्रेकिंग प्रणाली, ऑनलाइन शिकायत प्रबंध प्रणाली आदि पर चर्चा की जाती है। सतर्कता प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों सहित सतर्कता से संबंधित पूरे परिदृश्य पर चर्चा की जाती है। इन बैठकों में विचार–विमर्श के जरिए कई नयी पहलकदमियों को लागू किया गया था जिससे इन कंपनियों के कार्यकरण पर काफी प्रभाव पड़ा है।

पद्धति में सुधार

सभी संगठनों ने सक्रिय रूप से आईपीआर को ऑन–लाइन भेजनेए संवेदनशील पदों से गैर–संवेदनशील पदों पर बार–बारी से स्थानांतरण आदि में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसके अलावाए ऑन–लाइन सतर्कता पद्धति की स्थिति को विकसित किया गया है जो जांचाधीन है।

कोयला कंपनियों ने कई ई–पहलकदमियां अर्थात कोलनेट, ईएमडी की वापसी, आरएफआईडी के साथ इन मोशन तुलन

सेतुओं को स्थापित करना, ई–प्रापण, सीसीटीवी के साथ इलैक्ट्रोनिक निगरानी, ऑन–लाइन ट्रक प्रेषण प्रणाली आदि हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

चोरी तथा उठाईगिरी को रोकने और उत्पादन, प्रेषण, भण्डारण आदि का वास्तविक डाटा अभिग्रहण करने एवं प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए एक एकीकृत प्रणाली का विचार किया गया है जिसमें जीपीएस/जीपीआरएस के आधार पर ऐसी वाहन–खोज प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो व्यापक एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) से संबद्ध हो तथा तुलन सेतुओं, सामग्री भंडारों, प्रवेश/निकास स्थलों, स्टाकयार्ड, साईडिंग्स, विस्फोट मैगजीन आदि जैसे अति संवेदनशील स्थलों को जोड़ता हो तथा वह सीआईएल की सभी कंपनियों में कार्यान्वयनाधीन है। 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	मद का नाम	आवश्यकता	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन स्थिति
1.	जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली	9450	6114
2.	सीसीटीवी द्वारा इलैक्ट्रानिक निगरानी	2509	1025
3.	आरएफआईडी आधारित वूम बेरियर्स एंड रीडर्स	2857	2465
4.	तुलनसेतु की स्थिति	898	850
5.	व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग	960	344
6.	कोलनेट के कार्यान्वयन की स्थिति	51	42

निरीक्षण

औचक निरीक्षण तथा मामलों की गहन जांच की गई थी जिसमें प्रणाली में सुधार लाने के उपायों पर जोर दिया गया।

अभियोजन की स्वीकृति

इस अवधि के दौरान कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित 6 मामलों में सेवारत अधिकारियों के अभियोजन की स्वीकृति मंजूर करने के टिप्पणियां जारी की गई।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.

एनएलसी के सतर्कता विभाग ने कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए विभिन्न सक्रिय, निवारक एवं दण्डात्मक उपाय किए हैं। विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलकदमियां जैस स्वचालित फाइल ट्रेकिंग प्रणाली, स्वचालन, वेंडर को भुगतान के लिए ऑनलाइन बिल निगरानी प्रणाली, बिल ट्रेकिंग प्रणाली, यात्रा भत्ता बिल स्वचालन, ऑनलाइन सतर्कता अनुमोदन, वट्सअप संदेश के माध्यम से शिकायत, बैंक ऑनलाइन वेंडर इमपैनमेंट के माध्यम से ठेका कामगारों को मजदूरी का भुगतान, ओएलआईएमएमएस के माध्यम से खरीद के लिए ईएमडी की स्वतः वापसी आदि की कंपनी में लागू किया गया है ताकि सतर्कता की सिफारिश के आधार पर पारदर्शिता और प्रभावकारिता में बढ़ोतरी हो। सतर्कता विभाग के हस्तक्षेप से पदोन्नति क्रियाविधि तथा स्थानान्तरण की नीति को कारगर बनाया गया है। सतर्कता के हस्तक्षेप के कारण टीपीएस–II विस्तार के यूनिट– I तथा II के वाणिज्यिक प्रचालन घोषणा (सीओडी) जिसमें लंबे समय से विलंब हुआ था, में तेजी लायी गई थी जिसके फलस्वरूप यूनिट के सीओडी की घोषणा की गई।

निवारक उपाय के रूप में अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक 169 औचक जांच, 45 नियमित जांच, 29 गुणवत्ता जांच, 23 अनुवर्ती जांच एवं सीटीई किस्म के 12 जांच की गई। 530 शिकायतों की जांच की गई तथा 511 मामलों को निपटाया गया।

क्षमता निर्माण उपाय के रूप में प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सतर्कता संकाय द्वारा 30 से 60 मिनट के लिए कर्मचारियों के साथ प्रशिक्षण बातचीत हुई। सतर्कता विभाग ने कंपनीके विभिन्न यूनिटों ने आवश्यकता आधारित 'प्रचलित प्रशिक्षण कार्यक्रम' भी आयोजित किए हैं। एनएलसी में अपने जिम्मेवारी में सुधार करने के लिए कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए 'भष्ट्राचार जोखिम में' तैयार किया गया है।